28.01.25 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तामील डिलीवरी स्लीप पूर्व से पेश। अप्रार्थीगण तामील के उपरान्त भी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम सुवाना की वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पुश्तैनी हक हकूक तथा जन्मसिद्ध अधिकार की पैतृक खातेदारी है तथा 2/3 हिस्से पर हम प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त है। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण हस्तांतरण, बेचान करने पर आमादा है तथा हम प्रार्थीगण को हमारी पुश्तैनी भूमि से पृथक बेदखल कर हमें पैतृक हकों से वंचित रखना है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते तो हम प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक प्रतीत हो रही है अतः मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा खुर्दबुर्द तथा हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु (i) मामला प्रथम दृष्टया (ii) सुविधा का संतुलन (iii) अपूरणीय क्षति) प्रार्थी के हक में जाना नजर आने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया [illegible] तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में [illegible] 3.2024 को [illegible] रखा जाता कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सुवाना के वर्तमान खसरा नम्बर [illegible]8,119,120,123,131 रकबा 11.13 हैक्टेयर आराजी पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner